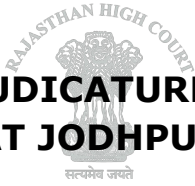


**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous **IInd** Bail Application No. 8869/2026
CNR: RJHC010626882026
URN: CRLMB / 19265U / 2026

Jagdish Chandra S/o Ramlal Jat, Aged About 43 Years, R/o
Balarada, Police Station – Kapasan, District Chittorgarh (Raj)
(Presently Lodged At District Jail -Chittorgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Zafar Khan
For Respondent(s)	: Ms. Sonu Manawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/07/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह द्वितीय आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **कपासन**, जिला **चित्तौड़गढ़** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **53/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **303(2), 317(2) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 136 विद्युत अधिनियम** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थी-अभियुक्त का प्रथम जमानत का प्रार्थना-पत्र दिनांक 02.04.2026 को आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् पुनः जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ जरिये नॉट प्रेस खारिज किया गया था। अब इस मामले में चालान पेश हो चुका है। अन्य सह-अभियुक्तगण शिवराज, मुकेश, राजमल, लोकेश, शिवसिंह की जमानत दिनांक 02.04.2026 को तथा देवकिशन व दिनेशचंद की जमानत दिनांक 09.03.2026 को हो चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सह-अभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रार्थी-अभियुक्त दिनांक 09.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।

प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **जगदीश चंद्र पुत्र रामलाल जाट** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J